राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्र. वाद/2022/115 दिनांक 24-01-2023

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. ओमप्रकाश दतक पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी बांकनाडी, बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. भीखाराम पुत्र जुगताराम वगैरा 67, जाति जाट, निवासी बांकनाडी बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 389/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – बांकनाडी, पटवार मण्डल – बायतु पनजी तहसील –बायतु जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 699/611, 712/615, 725/619, 730/620, 743/628 रकबा क्रमशः 10.9296, 3.3007, 0.1133, 1.5856, 2.9660 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

24/1/2023

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
दिनांक : 24-01-2023

क्रमांक : वाद/2022/116-120

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री ओमप्रकाश दतक पुत्र श्री ताजाराम
4. विप्रार्थी श्री भीखाराम पुत्र जुगताराम वगैरा 67,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

24/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर